

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

पटना, दिनांक-

संख्या-एसीस 01/नि०-17/2015 श्र०सं०...../ स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं० 1132 (2), दिनांक 06.11.14 द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना में डॉ० नरेन्द्र कुमार की सेवा प्राप्त हुई थी। इनकी सेवा तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वापस की जाती है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(देव नन्दन यादव)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-एसीस 01/नि०-17/2015 श्र०सं० 940 / पटना, दिनांक-28/3/2016

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/मा० मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना/सभी विभागीय पदाधिकारी/सम्बन्धित पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाइट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध है कि डॉ० नरेन्द्र कुमार के अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि का वेतन भुगतान न किया जाय। अनाधिकृत अनुपस्थिति एवं अन्य आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' गठित कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न की जाती है। साथ ही अनुरोध है कि इनके स्थान पर एक अन्य चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति इस विभाग में करते हुए उनकी सेवा उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


28.3.16
सरकार के अपर सचिव।